भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4527
उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

योजनाओं का पुनर्गठन

4527. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नई उड़ान और नया सवेरा जैसी योजनाओं का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु वर्ष-वार कितना बजट आबंटन किया गया और राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'नई उड़ान' योजना लागू की। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों/छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना/नया सवेरा" नामक एक योजना भी लागू की, जिसके तहत तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, रेलवे आदि सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समूह 'क', 'ख' और 'ग' सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों की सहायता के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई।

'नई उड़ान' और 'नया सवेरा' योजनाएं वित्तीय वर्ष 2022-23 से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा, अभी तक मंत्रालय में इन योजनाओं को पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): मंत्रालय ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख, के शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की हैं:

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और
iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

इन योजनाओं का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हालांकि, छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 से आगे कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार व्यय की गई राशि का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

*****